"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 131] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 24 जून 2005—आषाढ़ 3, शक 1927

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
इन्द्रावती खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 जून 2005

क्रमांक 56/04/निर्वा. संचा./2005/955.—भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली से प्राप्त आदेश क्रमांक 56/2005-JS-III दिनांक 20 मई 2005 सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

बी. एल. अग्रवाल,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 14 मई, 2005—24 वैशाख, 1927 (शक)

अधिसूचना

सं. 56/2005/न्यायिक अनु.-III.—निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 5 तथा 10 के साथ पठित, भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित उसे सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों को प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग, एतद्द्वारा, निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण तथा आवंटन) आदेश, 1968 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :—

(1) यह आदेश निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण तथा आवंटन) (संशोधन) आदेश, 2005 कहा जाएगा.

(2) यह 1 मार्च, 2004 से प्रभावी माना जाएगा तथा यह हमेशा प्रभावी माना जाता रहेगा.

2. पैरा-6क तथा 6ख का प्रतिस्थापन

निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण तथा आवंटन) आदेश, 1968 (अब से "मुख्य आदेश" के रूप में संदर्भित) में विद्यमान पैरा 6क तथा 6ख के स्थान पर निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"6क. राज्यीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए शर्तें

एक राजनैतिक दल किसी राज्य में राज्यीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए केवल और केवल तभी पात्र होगा यदि वह निम्नलिखित शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करता हो :—

(i) राज्य की विधान सभा के लिए पिछले साधारण निर्वाचन में, दल के द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों ने, उस राज्य में डाले गए कुल वैध मतों के छह प्रतिशत से कम मत प्राप्त नहीं किए हों, और इसके अतिरिक्त, इस प्रकार के साधारण निर्वाचन में उस दल ने उस राज्य की विधानसभा के लिए कम से कम दो सदस्य निर्वाचित कराए हैं ; अथवा

(ii) उस राज्य से लोकसभा के लिए पिछले साधारण निर्वाचन में, दल के द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों नें, उस राज्य में डाले गए कुल वैध मतों के छह प्रतिशत से कम मत प्राप्त नहीं किए हों, और इसके अतिरिक्त, इस प्रकार के साधारण निर्वाचन में दल ने लोकसभा के लिए कम से कम एक सदस्य उस राज्य से निर्वाचित कराया है; अथवा

(iii) उस राज्य की विधानसभा के लिए पिछले साधारण निर्वाचन में, दल राज्य की विधानसभा के कुल स्थानों में से कम से कम तीन प्रतिशत स्थानों पर विजयी रहा हो, [आधे से अधिक भाग (भिन्न) को एक गिना जाएगा] अथवा पूर्वोक्त साधारण निर्वाचन में विधानसभा के लिए कम से कम तीन स्थानों पर या इनमें से जो भी अधिक हो, पर विजयी रहा हो ; अथवा

(iv) राज्य से लोक सभा के लिए पिछले साधारण निर्वाचन में, दल ने लोक सभा के लिए उस राज्य को आवंटित प्रत्येक 25 सदस्यों के पीछे या उसके किसी भाग (भिन्न) के लिए कम से कम एक सदस्य निर्वाचित कराया है.

6ख. **राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता के लिए शर्तें**

कोई राजनैतिक दल एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने का पात्र होगा, यदि और केवल यदि, निम्नलिखित शर्तों में से कोई एक पूरी होती है :

(i) लोकसभा या संबंधित राज्य की विधानसभा के पिछले साधारण निर्वाचन में किन्हीं चार या अधिक राज्यों में दल के द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों ने, उनमें से प्रत्येक राज्य में डाले गए कुल वैध मतों के छह प्रतिशत से कम मत प्राप्त नहीं किए हैं और इसके अतिरिक्त उस साधारण निर्वाचन में किसी राज्य या राज्यों से पूर्वोक्त पिछले साधारण निर्वाचन में दल ने लोकसभा के लिए कम से कम चार सदस्य निर्वाचित कराए हैं ; अथवा

(ii). लोक सभा के लिए पिछले साधारण निर्वाचन में दल ने लोक सभा के लिए कुल स्थानों में से कम से कम दो प्रतिशत स्थानों पर विजयी रहा हो [आधे से अधिक भाग (भिन्न) को एक गिना जाएगा], और पार्टी के अभ्यर्थी कम से कम तीन राज्यों से लोक सभा के लिए विजयी रहा हो ; अथवा

(iii) कम से कम चार राज्यों में उस दल को राज्यीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है.''

3. **पैराग्राफ-7 के खण्ड (i) का प्रतिस्थापन**

मुख्य आदेश के पैराग्राफ-7 में विद्यमान खण्ड (1) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :

''(1) पैरा 6क, 6ख या 6ग में निहित किसी बात के होते हुए भी यदि कोई दल निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण तथा आवंटन) (संशोधन) आदेश, 2005 के प्रारंभ होने से पहले या बाद में, या तो एक राष्ट्रीय दल या एक राज्यीय दल के रूप में, इस आदेश के प्रारंभ होने से पूर्व विद्यमान शर्तों को संतुष्ट करते हुए मान्यता प्राप्त था, तो लोकसभा, या जैसा भी मामला हो, संबंधित राज्य की, विधानसभा के लिए होने वाले आगामी साधारण निर्वाचन के प्रयोजन हेतु उक्त दल को ऐसे राष्ट्रीय या राज्यीय दल का स्तर बना रहेगा और वह उसका लाभ प्राप्त करता रहेगा, यह इसकी मान्यता के लिए आधार बने निर्वाचन (निर्वाचनों) पर निर्भर करेगा और उसके बाद राष्ट्रीय दल या राज्यीय दल के रूप में जारी इसकी मान्यता इसके द्वारा पैरा 6क या 6ख, जो भी मामला हो, में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने पर निर्भर करेगी.''

परन्तु यदि वह ऐसी मान्यता के लिए निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण तथा आवंटन) (संशोधन) आदेश, 2005 के प्रारंभ होने से पहले और उसके बाद भी विद्यमान शर्तों को संतुष्ट करने में असफल रहता है तो राष्ट्रीय दल या राज्यीय दल के रूप में इसकी मान्यता को प्रत्याहरित करने से आयोग को कोई नहीं रोक सकता.

आदेश से,

हस्ता./-
(के. एफ. विल्फ्रेड),
सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, Dated the 14th May, 2005—24th Vaisaka, 1927 (Saka)

NOTIFICATION

No. 56/2005/JS-III.—In exercise of the powers conferred by Article 324 of the Constitution of India, read with Rules 5 and 10 of the Conduct of Elections Rules, 1961, and all other powers enabling it in this behalf, the Election Commission of India hereby makes the following Order to further amend the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, namely :—

1. **Short title and commencement :—**

(1) This Order may be called the Election Symbols (Reservation and Allotment) (Amendment) Order, 2005.

(2) It shall be deemed, and shall always be deemed, to have come into force with effect from 1st March, 2004.

2. **Substitution of paragraphs 6A and 6B :—**

In the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968 [hereinafter referred to as the 'Principal-Order'], for existing paragraphs 6A and 6B, the following paragraphs shall be substituted, namely :—

"**6A. Conditions for recognition as a State Party**

A political party shall be eligible for recognition as a State party in a State, if, and only if, any of the following conditions is fulfilled :

(i) At the last general election to the Legislative Assembly of the State, the candidates set up by the party have secured not less than six percent of the total valid votes polled in the State, and, in addition, the party has returned at least two members to the Legislative Assembly of that State at such general election; or

(ii) At the last general election to the House of the People from that State, the candidates set up by the party have secured not less than six percent of the total valid votes polled in the State, and, in addition, the party has returned at least one member to the House of the People from that State at such general election ; or

(iii) At the last general election to the Legislative Assembly of the State, the party has won at least three percent of the total number of seats in the Legislative Assembly, (any fraction exceeding half being counted as one), or at least three seats in the Assembly, whichever is more : or

(iv) At the last general election to the House of the People from the State, the party has returned at least one member to the House of the People for every 25 members or any fraction thereof allotted to that State.

6B. Conditions for recognition as a National Party

A political party shall be eligible to be recognized as National party, if, and only if, any of the following conditions is fulfilled :

(i) The candidates set up by the party, in any four or more States, at the last general election to the House of the People, or to the Legislative Assembly of the State concerned, have secured not less than six percent of the total valid votes polled in each of those States at that general election, and, in addition, it has returned at least four members to the House of the People at the aforesaid last general election from any State or States : or

(ii) At the last general election to the House of the People, the party has won at least two percent of the total number of seats in the House of the People, any fraction exceeding half being counted as one, and the party's candidates have been elected to that House from not less than three States; or

(iii) The party is recognized as State party in at least four States."

3. Substitution of clause (1) of paragraph 7

In paragraph 7 of the Principal Order, for the existing clause (1), the following shall be substituted :

"(1) Notwithstanding anything contained in paragraph 6A, 6B or 6C, if any political party got recognized, whether before or after the commencement of the Election Symbols (Reservation and Allotment) (Amendment) Order, 2005, either as a National Party or as a State party, on satisfying the conditions for such recognition as they existed prior to such commencement, the said party shall continue to have and enjoy the status of such National or State party for the purposes of the next general election to the House of the People or, as the case may be, to the Legislative Assembly of the State concerned, depending on the election(s) which formed the basis for such recognition, and its continued recognition as such National or State party shall thereafter be dependent upon fulfilment by it of the conditions now specified in paragraph 6A or 6B, as the case may be:

Provided that nothing herein shall preclude the Commission from withdrawing the recognition of a party, either as a National Party or as a State Party, if it failed to satisfy any of the conditions for such recognition as they existed prior to, and also after, the commencement of the Election Symbols (Reservation and Allotment) (Amendment) Order, 2005."

By Order,

Sd/-
(K. F. WILFRED)
Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.

